सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी – पूरण सिंह (आर.टी.एस.) प्रकरण संख्या : 11/2014

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956

सरकार बनाम विष्णु कुमार चौधरी पुत्र रामप्रताप जाति महाजन निवासी मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनू।

–: निर्णय :– दिनांक :04.01.19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित । संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, मुकुन्दगढ कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम मुकुन्दग स्थित भूमि खसरा 592 रकबा 1.46 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की खातेदारी श्री विष्णु कुमार चौधरी पुत्र रामप्रताप जाति महाजन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में खातेदार विष्णु कुमार चौधरी पुत्र रामप्रताप जाति महाजन निवासी मुकुन्दगढ ने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना ही 1.20 है0 भूमि पर ग्रेवल सी.सी. सीमेंट सड़क, मिट्टी भराव, अवैध नलकूप, प्लॉटिंग पत्थर लगाकर एवं एक पुख्ता दुकान मय शटर बनाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जरिये वकील श्री अशोक जांगिड़ उपस्थित हुए तथा वकालत नामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा।

अप्रार्थी ने दिनाक 04.01.19 को उपस्थित होकर कार्यालय में जवाब नोटिस पेश किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम मुकुन्दगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 592 रकबा 1.46 हैक्टर स्थित थी, जिसमें से नामान्तरण संख्या 598 दिनांक 01.05.15 को सावित्री धर्मपत्नी महादेव प्रसाद जाति माली हिस्सा 0.22 हैक्टर, महेन्द्र सिंह पुत्र हीरानन्द जाति जाट हिस्सा 0.31 हेक्टर पार्वती देवी धर्मपत्नी विष्णु कुमार जाति महाजन हिस्सा 0.31 हैक्टर, मनीष कुमार पुत्र विष्णु कुमार जाति महाजन हिस्सा 0.31 हैक्टर कुल 1.15 हैक्टर भूमि बेचान कर दिया गया था। तथा नामान्तरण संख्या 602 दिनांक 19.06.15 को महेन्द्र सिंह पुत्र हिरानन्द ने अपने हिस्से की 0.31 हैक्टर भूमि सुरेन्द्र पुत्र सोहनलाल कोबेचान करदिया गया था।उसके पश्चात नामान्तरण संख्या 616 दिनांक 04.01.16 खाता विभाजन निम्न प्रकार स्वीकार हुआ–(1) सावित्री देवी पत्नी महादेव प्रसाद जाति माली सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 974/592 रकबा 0.22 (2) पार्वती देवी पत्नी विष्णु कुमार जाति महाजन सा.देह खातेदार ख.न. 592 रकबा 0.31 (3) मनिष कुमार पुत्र विष्णु कुमार जाति महाजन सा.देह खातेदार ख.न. 971/592 रकबा 0.31 है. (4) विष्णु कुमार पुत्र रामप्रताप जाति महाजन सा.देह खातेदार ख.न. 972/592 रकबा 0.31 है. (5) सुरेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट सा.देह खातेदार ख.न. 973/592 रकबा 0.31 है. हो गया था। उसके पश्चात नामान्तरण संख्या 689 दिनांक 10.08.18 कोइस समस्त खसरा नम्बर की 90ए होकर नगरपालिका मुकुन्दगढ के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई है। इस प्रकार 1.46 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि की 90ए की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। अप्रार्थी ने जवाब नोटिस के साथ वर्तमान जमाबन्दी एवं नगरपालीका मुकुन्दगढ के आदेश क्रमांक न.पा.न/2017–18/ भूमि/90ए आदेश/2124–2126 दिनांक 27.07.18 की प्रति संलग्न की है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सपरिवर्तन करा लिया गया है।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस एवं सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य के लिए कार्य में लि गई भूमि का अकृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु नियमानुसार संपरिवर्त करा लिया है। अतः कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 11/2014 रा0भू0 रा0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 पर कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही रह जाता है। उक्त प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद दाखील दप्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....4/1/19.......... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़

तहसीलदार

नवलगढ़ (झुन्झुनू)